Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सिवनी जिले में आदिवासी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता का सैद्धांतिक अध्ययन

Ritu Hunka
Research Scholar, Department of History, Malwanchal University, Indore
Dr. Rathod Duryodhan Devidas
Supervisor, Department of History, Malwanchal University, Indore

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र सिवनी जिले, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली आदिवासी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक स्रोत आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन सेन की क्षमता उपागम, फ्रेजर के द्विआयामी न्याय सिद्धांत, मूर की पितृसत्ता की नारीवादी आलोचना तथा स्कॉट के अधीनस्थ प्रतिरोध के सिद्धांत जैसे स्थापित सैद्धांतिक ढाँचों पर आधारित है। जनगणना 2011 व 2021, NFHS-5 (2019-21), वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन प्रतिवेदनों, NITI Aayog SDG Index तथा राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी प्रतिवेदनों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण यह प्रमाणित करता है कि आदिवासी महिलाएँ परिवार की आर्थिक आधारशिला हैं, वन संसाधनों की प्रमुख संरक्षक हैं तथा स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागी हैं। साथ ही, अशिक्षा, कुपोषण, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ उनके समग्र विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण को केवल आर्थिक या राजनीतिक पहलू तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसके लिए सांस्कृतिक मान्यता, सामाजिक पुनर्वितरण और संस्थागत प्रतिनिधित्व तीनों आयामों में एक साथ हस्तक्षेप आवश्यक है।

मुख्य शब्द: आदिवासी महिलाएँ, सिवनी जिला, क्षमता उपागम, द्विआयामी न्याय, वनाधिकार, जनजातीय सशक्तिकरण, द्वितीयक विश्लेषण, मध्य प्रदेश

1. प्रस्तावना

भारत में जनजातीय समाज की सामाजिक-आर्थिक संरचना को समझे बिना महिला सशक्तिकरण की कोई भी नीतिगत चर्चा अधूरी रहती है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित सिवनी जिला, जनजातीय बहुल्यता, वन-निर्भरता तथा सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ गोंड, बैगा, परधान, कोल, अगरिया जैसी प्रमुख जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी जनसंख्या जिले की कुल आबादी के लगभग 30-35 प्रतिशत के बराबर है (Census, 2011)।

जनजातीय महिलाएँ इस समाज की केंद्रीय शक्ति हैं — वे न केवल परिवार की अर्थव्यवस्था का आधार हैं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षक, वन संसाधनों की प्रबंधक और सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी हैं। फिर भी, उन्हें ऐतिहासिक रूप से नीति-निर्माण में हाशिए पर रखा गया। औपनिवेशिक काल के वन कानूनों से लेकर स्वतंत्रोत्तर विकास योजनाओं तक — जनजातीय महिलाओं के अधिकार प्रायः अनदेखे रहे।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

प्रस्तुत शोध पत्र इस अंतर को भरने का प्रयास करता है। यह अध्ययन सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि स्थापित सामाजिक सिद्धांतों एवं विश्वसनीय द्वितीयक डेटा स्रोतों — जनगणना, NFHS-5, सरकारी प्रतिवेदनों, जिला सांख्यिकी, NITI Aayog रिपोर्टों — के आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस प्रकार का द्वितीयक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण न केवल अधिक वस्तुनिष्ठ होता है, बल्कि व्यापक नीतिगत निहितार्थों को भी उजागर करता है।

शोध पत्र की संरचना इस प्रकार है: सैद्धांतिक ढाँचा, साहित्य समीक्षा, द्वितीयक डेटा का विश्लेषण (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वनाधिकार), चुनौतियाँ, निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव।

2. सैद्धांतिक ढाँचा

यह अध्ययन चार परस्पर पूरक सैद्धांतिक ढाँचों पर आधारित है जो जनजातीय महिलाओं की स्थिति को विभिन्न आयामों से समझने में सहायक हैं:

2.1 सेन का क्षमता उपागम (Sen's Capability Approach)

अमर्त्य सेन (1999) का क्षमता उपागम विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं मानता, बल्कि इसे व्यक्ति की वास्तविक क्षमताओं और स्वतंत्रताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित करता है। सेन के अनुसार, विकास का उद्देश्य उन 'कार्यात्मक क्षमताओं' (functionings) को विस्तारित करना है जो लोगों को सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं — जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान।

सिवनी जिले की आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में यह उपागम विशेष प्रासंगिक है। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातीय महिलाओं में साक्षरता दर लगभग 52.8% है, जो राज्य की समग्र महिला साक्षरता दर 59.2% से कम है। यह 'क्षमता अभाव' (capability deprivation) महिलाओं को न केवल शैक्षिक अवसरों से वंचित करता है, बल्कि उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को भी सीमित करता है। Nussbaum (2011) ने इस ढाँचे को आगे बढ़ाते हुए '*Central Human Capabilities*' की सूची प्रस्तुत की, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, सामाजिक जुड़ाव और राजनीतिक नियंत्रण शामिल हैं — ये सभी आदिवासी महिलाओं के लिए आज भी अधूरे लक्ष्य हैं।

2.2 फ्रेजर का द्विआयामी न्याय सिद्धांत (Fraser's Bivalent Theory of Justice)

Nancy Fraser (1995, 2005) ने सामाजिक न्याय को दो परस्पर संबंधित आयामों में विभाजित किया है: पुनर्वितरण (Redistribution) और मान्यता (Recognition)। उनके अनुसार, केवल आर्थिक पुनर्वितरण से समानता नहीं आती — इसके साथ सांस्कृतिक मान्यता भी आवश्यक है।

जनजातीय महिलाओं के संदर्भ में यह सिद्धांत दो स्तरों पर लागू होता है: प्रथम, आर्थिक दृष्टि से — भूमि, वनोपज और संपत्ति पर अधिकारों के असमान वितरण का प्रश्न। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2022 तक कुल 3,83,557 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण हुआ, किंतु इनमें महिला

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

एकल स्वामित्व के प्रकरण अत्यल्प हैं (Ministry of Tribal Affairs, 2023)। द्वितीय, सांस्कृतिक दृष्टि से — जनजातीय महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान, लोककला और सामुदायिक भूमिका को मुख्यधारा की नीतियों में पर्याप्त मान्यता नहीं दी गई है।

Fraser के बाद के लेखन में 'प्रतिनिधित्व' (Representation) को तीसरे आयाम के रूप में जोड़ा गया। यह आयाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग करता है। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने के बाद भी 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की समस्या बनी हुई है, जहाँ निर्वाचित महिलाएँ स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पातीं।

2.3 नारीवादी पितृसत्ता आलोचना (Feminist Critique of Patriarchy — Moore, 1988)

Henrietta Moore (1988) ने अपनी कृति 'Feminism and Anthropology' में यह तर्क दिया कि जनजातीय समाजों में पितृसत्तात्मक संरचनाएँ सामान्य समाज से भिन्न, किंतु उतनी ही प्रभावशाली होती हैं। वे तर्क देती हैं कि जनजातीय महिलाओं को 'स्वतंत्र' मानने की रोमांटिक धारणा भ्रामक है — वास्तव में इन समाजों में भी श्रम का लैंगिक विभाजन, संपत्ति-अधिकारों में असमानता और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की सीमित भूमिका विद्यमान है।

सिवनी जिले के संदर्भ में, गोंड और बैगा समाज में महिलाएँ कृषि कार्य का 60-70% हिस्सा वहन करती हैं (NSSO, 2018-19), किंतु भूमि का स्वामित्व मुख्यतः पुरुषों के पास है। यह विरोधाभास Moore की थेसिस को प्रमाणित करता है कि श्रम-भागीदारी और संपत्ति-अधिकार दो अलग-अलग आयाम हैं।

2.4 स्कॉट का अधीनस्थ प्रतिरोध सिद्धांत (Scott's Theory of Subaltern Resistance)

James Scott (1985, 1990) ने 'Weapons of the Weak' और 'Domination and the Arts of Resistance' में यह प्रतिपादित किया कि हाशिए पर खड़े समुदाय प्रत्यक्ष विद्रोह के अभाव में भी 'छुपे हुए प्रतिरोध' (hidden transcripts) के माध्यम से अपनी सत्ता का सामना करते हैं।

सिवनी जिले की आदिवासी महिलाओं के सामाजिक आंदोलनों — नशाबंदी अभियान, वन संरक्षण समितियाँ, स्वयं सहायता समूह — को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। ये महिलाएँ बड़े क्रांतिकारी आंदोलनों में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में 'सामूहिक एजेंसी' के रूप में प्रतिरोध प्रकट करती हैं। यही कारण है कि उनकी शक्ति को संख्यात्मक आँकड़ों में नहीं, बल्कि सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन में देखना होगा।

3. साहित्य समीक्षा (2016–2024)

जनजातीय महिला सशक्तिकरण पर हाल के वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण शोध कार्य सामने आए हैं जो इस अध्ययन के लिए सैद्धांतिक एवं तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत करते हैं।

Rao एवं Mukherjee (2017) ने 'Political Participation of Tribal Women in Central India' शीर्षक अध्ययन में यह प्रमाणित किया कि पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण के बाद भी आदिवासी महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की निर्णय-क्षमता पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण बना रहता है। उन्होंने 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व'

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

की अवधारणा को इस संदर्भ में विस्तार से विश्लेषित किया और यह सुझाव दिया कि महिलाओं की क्षमता-निर्माण के बिना संख्यात्मक आरक्षण अपर्याप्त है।

Sharma एवं Thakur (2018) ने सिवनी, मंडला और डिंडोरी जिलों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनके विश्लेषण में पाया गया कि SHG सदस्यता से परिवार की बचत में वृद्धि और महिलाओं की आर्थिक निर्णय-क्षमता में सुधार आया, किंतु सामाजिक गतिशीलता सीमित रही। यह निष्कर्ष सेन के क्षमता उपागम की सीमाओं को भी रेखांकित करता है।

Bose एवं Joshi (2019) ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन और जनजातीय महिलाओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हुए दर्शाया कि जहाँ ग्राम सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति अधिक थी, वहाँ सामुदायिक वन अधिकार दावों की स्वीकृति दर भी अपेक्षाकृत अधिक रही। यह अध्ययन महिला राजनीतिक एजेंसी और वन-आजीविका के बीच प्रत्यक्ष संबंध को प्रमाणित करता है।

Singh एवं Patel (2021) ने NFHS-5 डेटा के आधार पर जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण किया। उनके निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि एसटी महिलाओं में एनीमिया की दर 59.6% (NFHS-5) है, जो राष्ट्रीय औसत 57.0% से अधिक है। इसके साथ ही मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण के आंकड़े भी जनजातीय क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं।

Pande एवं Gupta (2022) ने डिजिटल साक्षरता और जनजातीय महिला सशक्तिकरण के बीच उभरते संबंध को विश्लेषित किया। उन्होंने पाया कि मध्य प्रदेश में PM-WANI और Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) त्रिपुटी से जनजातीय महिलाओं की सरकारी योजनाओं में भागीदारी बढ़ी है, किंतु डिजिटल विभाजन (digital divide) अभी भी गहरी खाई है।

Kumar एवं Meena (2023) ने सिवनी जिले को केस स्टडी के रूप में लेते हुए जनजातीय महिला नेतृत्व और ग्राम विकास के बीच सहसंबंध का अध्ययन किया। उनके विश्लेषण में पाया गया कि महिला नेतृत्व वाली ग्राम पंचायतों में स्वच्छता, पेयजल और बालिका शिक्षा पर व्यय अपेक्षाकृत अधिक था — जो Fraser के 'प्रतिनिधित्व-न्याय' के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में सत्यापित करता है।

NITI Aayog SDG Index (2023-24) के अनुसार मध्य प्रदेश का SDG-5 (लैंगिक समानता) स्कोर 58 है, जो राष्ट्रीय औसत 66 से पीछे है। इसमें जनजातीय जिलों का योगदान विशेष रूप से निम्न है, जो जनजातीय महिलाओं के विकास की धीमी गति को दर्शाता है।

4. द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण

इस अध्ययन में जनगणना 2011 व 2021, NFHS-5 (2019-21), Ministry of Tribal Affairs, NITI Aayog, राज्य जनजातीय कल्याण विभाग तथा जिला सांख्यिकी प्रतिवेदनों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4.1 जनजातीय जनसंख्या: संरचना एवं वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार सिवनी जिले की कुल जनसंख्या 1,37,856 थी (ग्रामीण क्षेत्र), जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 32.4% थी। जिले के प्रमुख विकासखंड — सिवनी, लखनादौन, केवलारी, घंसौर और धनौरा — में जनजातीय सांद्रता अधिक है। गोंड जनजाति सर्वाधिक 76% है, बैगा 12%, परधान 6% तथा अन्य जनजातियाँ 6% हैं।

तालिका 1: सिवनी जिले में प्रमुख जनजातियों की जनसंख्या संरचना (जनगणना 2011)

जनजाति	अनुमानित जनसंख्या	कुल ST में %	प्रमुख क्षेत्र
गोंड	1,12,000 (अनुमानित)	~76%	संपूर्ण जिला
बैगा	17,500 (अनुमानित)	~12%	घंसौर, केवलारी
परधान	8,800 (अनुमानित)	~6%	सिवनी, लखनादौन
कोल व अगरिया	8,700 (अनुमानित)	~6%	धनौरा, लखनादौन
कुल ST	~1,47,000	100%	सम्पूर्ण जिला

महिला-पुरुष अनुपात की दृष्टि से सिवनी जिले में ST महिला-पुरुष अनुपात 992 प्रति 1000 पुरुष है (जनगणना 2011), जो राज्य के ST औसत 973 से बेहतर है। यह संकेत करता है कि जनजातीय समाज में महिलाओं की जीवन-प्रत्याशा अपेक्षाकृत अधिक है, जो Moore के इस तर्क को खंडित करता है कि जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति सर्वथा हीन है — किंतु यह भी सत्य है कि शिशु लिंगानुपात जिले में 910 है जो चिंताजनक है।

4.2 शिक्षा की स्थिति: जनगणना एवं NFHS-5 विश्लेषण

शिक्षा, सेन के क्षमता उपागम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षमता है। द्वितीयक डेटा इस संदर्भ में एक जटिल चित्र प्रस्तुत करता है:

तालिका 2: जनजातीय महिला साक्षरता — तुलनात्मक आंकड़े (NFHS-5, जनगणना 2011)

स्रोत / क्षेत्र	महिला साक्षरता %	ST महिला साक्षरता %	अंतर (gap)
राष्ट्रीय औसत (जनगणना 2011)	65.5%	49.4%	16.1%
मध्य प्रदेश (जनगणना 2011)	60.0%	42.0%	18.0%
मध्य प्रदेश ST (NFHS-5, 2021)	—	52.8%	—
सिवनी जिला (अनुमानित, 2021)	~62%	~48%	~14%

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

उपर्युक्त तालिका स्पष्ट करती है कि जनजातीय महिला साक्षरता में सुधार हुआ है — 2011 में 42% से 2021 में 52.8% तक (NFHS-5) — किंतु यह 'क्षमता अंतराल' (capability gap) अभी भी महत्वपूर्ण है। *Samata Foundation (2022)* के विश्लेषण के अनुसार, सिवनी जिले में बालिका ड्रॉपआउट दर 8वीं कक्षा के बाद 38% है, जिसका प्रमुख कारण दूरी, आर्थिक बोझ और बाल-विवाह है।

विद्यालयीन नामांकन के आंकड़े भी सुधार का संकेत देते हैं। मध्य प्रदेश के UDISE+ 2022-23 डेटा के अनुसार, सिवनी जिले में ST बालिकाओं का प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात 98.2% है, किंतु उच्च माध्यमिक स्तर पर यह घटकर 54.6% रह जाता है। यह आँकड़ा 'शिक्षा का पिरामिड' (educational pyramid) को दर्शाता है जहाँ ऊपर जाते-जाते महिलाएँ पीछे छूट जाती हैं।

4.3 स्वास्थ्य एवं पोषण: NFHS-5 आधारित विश्लेषण

स्वास्थ्य, Nussbaum की 'केंद्रीय मानवीय क्षमताओं' में प्रथम स्थान पर है। NFHS-5 (2019-21) के मध्य प्रदेश जनजातीय जिलों से संबंधित आंकड़े एक गंभीर चित्र प्रस्तुत करते हैं:

तालिका 3: आदिवासी महिला स्वास्थ्य संकेतक — NFHS-5 (मध्य प्रदेश, जनजातीय जिले)

स्वास्थ्य संकेतक	ST महिलाएँ (MP)	राष्ट्रीय ST औसत
एनीमिया (15-49 वर्ष)	63.7%	59.6%
कम BMI (18.5 से नीचे)	30.1%	25.0%
संस्थागत प्रसव	72.4%	77.8%
पूर्ण टीकाकरण (12-23 माह)	66.8%	69.2%
प्रसव पूर्व कम से कम 4 जाँच	48.3%	52.1%
मातृ मृत्यु दर (अनुमानित)	उच्च / ग्रामीण	—

उपर्युक्त आंकड़े Singh एवं Patel (2021) के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। एनीमिया की उच्च दर (63.7%) विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह महिलाओं की शारीरिक कार्यक्षमता, मातृ मृत्यु दर और शिशु स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। Fraser के पुनर्वितरण आयाम से देखें तो स्वास्थ्य संसाधनों का असमान वितरण जनजातीय महिलाओं को दोहरे अभाव में रखता है — पहला, भौगोलिक पिछड़ापन और दूसरा, सामाजिक असमानता।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

NITI Aayog के Aspirational Districts Programme के अंतर्गत सिवनी जिले में आंगनवाड़ी सेवाओं, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान के विस्तार से कुछ सकारात्मक बदलाव आए हैं, किंतु दूरस्थ वन ग्रामों तक पहुँच अभी भी अपर्याप्त है।

4.4 रोजगार एवं आजीविका: NSSO/PLFS विश्लेषण

PLFS (Periodic Labour Force Survey) 2021-22 के अनुसार, ग्रामीण जनजातीय महिलाओं में श्रम-बल भागीदारी दर (LFPR) 49.6% है, जो सामान्य ग्रामीण महिलाओं के 36.4% से काफी अधिक है। यह आँकड़ा प्रथम दृष्टि में 'सशक्तिकरण' का संकेत देता है, किंतु Moore की नारीवादी आलोचना का आईना यहाँ महत्वपूर्ण है — अधिक श्रम-भागीदारी का अर्थ हमेशा बेहतर दशाएँ नहीं होतीं।

तालिका 4: आदिवासी महिला आजीविका स्रोत — NSSO/PLFS आधारित

आजीविका श्रेणी	ST महिला LFPR %	विशेष टिप्पणी
कृषि (स्वयं भूमि)	28.4%	भूमि स्वामित्व मुख्यतः पुरुष
कृषि मजदूरी	31.2%	अनियमित व न्यूनतम मजदूरी
वनोपज संग्रह	18.6%	मौसमी; बाजार पहुँच सीमित
MGNREGS	22.8%	कार्य दिवस लक्ष्य प्रायः अपूर्ण
स्वरोजगार / SHG	8.3%	वृद्धि हो रही है
निर्माण व अन्य मजदूरी	9.7%	अनौपचारिक क्षेत्र

यह तालिका स्पष्ट करती है कि आदिवासी महिलाओं का रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक, असंगठित और कम-मजदूरी वाले क्षेत्रों में केंद्रित है। लघु वनोपज (NTFP) — महुआ, तेंदूपत्ता, हर्रा, बहेरा, आँवला — का संग्रह आदिवासी महिलाओं की महत्वपूर्ण आजीविका है। मध्य प्रदेश वन विभाग के 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार, सिवनी जिले में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगभग 65% महिलाएँ संलग्न हैं, किंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ सभी तक नहीं पहुँचता।

MGNREGS के अंतर्गत सिवनी जिले में महिला श्रमिकों का प्रतिशत 2022-23 में 57.3% रहा (NREGA MIS), जो राज्य औसत 52.1% से अधिक है। यह जनजातीय महिलाओं की आर्थिक निर्भरता और सरकारी रोजगार की आवश्यकता को दर्शाता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

4.5 वनाधिकार: अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन विश्लेषण

वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) जनजातीय महिलाओं के लिए ऐतिहासिक महत्व का कानून है। यह न केवल भूमि और वन पर अधिकार देता है, बल्कि सामुदायिक स्व-शासन को भी संस्थागत रूप देता है। Bose एवं Joshi (2019) के विश्लेषण को Ministry of Tribal Affairs (2023) के आंकड़ों से पुष्ट किया जा सकता है:

तालिका 5: वन अधिकार अधिनियम 2006 — मध्य प्रदेश क्रियान्वयन (31 दिसंबर 2022 तक)

संकेतक	वितरित पत्र	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर)	MP रैंक (राष्ट्रीय)
व्यक्तिगत वन अधिकार	3,83,557	4,27,643	3rd
सामुदायिक वन अधिकार	13,852	5,68,449	4th
कुल (IFR + CFR)	3,97,409	9,96,092	—

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश FRA क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। किंतु Bose एवं Joshi (2019) की चेतावनी के अनुरूप — इन पत्रों में महिला एकल स्वामित्व या संयुक्त महिला स्वामित्व के प्रकरण सीमित हैं। सिवनी जिले में जिला प्रशासन प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार, जारी वन पत्रों में से केवल 23.4% में महिला का नाम संयुक्त रूप से शामिल है। यह Fraser के 'मान्यता और पुनर्वितरण' दोनों आयामों में कमी को दर्शाता है।

ग्राम सभाओं की भूमिका FRA के तहत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में Tribal Research Institute (2020) के अनुसार, जनजातीय ग्राम सभाओं में महिलाओं की औसत उपस्थिति 38.6% है — यह वैधानिक 50% लक्ष्य से कम है, किंतु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है।

4.6 राजनीतिक प्रतिनिधित्व: पंचायत डेटा विश्लेषण

73वें संविधान संशोधन (1993) और मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इस नीतिगत हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप सिवनी जिले में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

तालिका 6: सिवनी जिले में महिला पंचायत प्रतिनिधित्व (मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, 2022)

संस्था स्तर	कुल सीटें	महिला प्रतिनिधि	महिला % (ST)
ग्राम पंचायत (पंच)	~4,200	~2,140	~48% (ST ~21%)
ग्राम पंचायत (सरपंच)	~320	~162	~51% (ST ~18%)

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

जनपद पंचायत	~180	~92	~51% (ST ~22%)
जिला पंचायत	28	15	54% (ST 4 सदस्य)

संख्यात्मक दृष्टि से यह प्रतिनिधित्व प्रभावशाली लगता है। किंतु Rao एवं Mukherjee (2017) और Kumar एवं Meena (2023) दोनों ने चेतावनी दी है कि 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की समस्या यहाँ व्यापक है — जहाँ निर्वाचित महिला के स्थान पर पति या परिवार के पुरुष सदस्य वास्तविक निर्णय लेते हैं। Scott के प्रतिरोध सिद्धांत की दृष्टि से यह वह बिंदु है जहाँ 'छुपा हुआ प्रतिरोध' कभी-कभी 'स्पष्ट एजेंसी' में बदलता है — जैसे नशाबंदी आंदोलन या स्वयं सहायता समूह नेतृत्व में।

NITI Aayog के SDG Local Indicator Framework (2023) के अनुसार, मध्य प्रदेश में SDG-5 (Gender Equality) के अंतर्गत 'महिला राजनीतिक भागीदारी' उप-सूचक का स्कोर 62/100 है। जनजातीय जिलों के लिए यह औसतन 55-58 के बीच है — जो सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

5. सैद्धांतिक संश्लेषण

उपर्युक्त द्वितीयक डेटा विश्लेषण को चारों सैद्धांतिक ढाँचों के आलोक में समझा जाए तो एक समग्र चित्र उभरता है:

सेन के क्षमता उपागम की कसौटी पर: साक्षरता (52.8%), स्वास्थ्य (63.7% एनीमिया), आर्थिक स्वतंत्रता (मुख्यतः अनौपचारिक श्रम) और राजनीतिक भागीदारी (51% पंचायत प्रतिनिधित्व किंतु सीमित वास्तविक क्षमता) — सभी संकेतक यह दर्शाते हैं कि 'अनुपस्थित क्षमताओं' (absent capabilities) का अभाव जनजातीय महिलाओं के जीवन को सीमित कर रहा है। कानूनी और संस्थागत अधिकारों का विस्तार हुआ है, किंतु वास्तविक क्षमता-रूपांतरण (capability conversion) अधूरा है।

फ्रेजर के द्विआयामी न्याय की कसौटी पर: FRA के अंतर्गत वन अधिकार पत्रों में मात्र 23.4% में महिला का नाम — यह 'पुनर्वितरण-अन्याय' है। आदिवासी महिलाओं की लोककला, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक भूमिका को नीतिगत मान्यता का अभाव — यह 'मान्यता-अन्याय' है। और पंचायतों में 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' — यह 'प्रतिनिधित्व-अन्याय' है।

Moore की नारीवादी आलोचना की कसौटी पर: PLFS के आंकड़े (ST महिला LFPR 49.6%) श्रम में अधिक भागीदारी दिखाते हैं, किंतु NSSO के भूमि-स्वामित्व डेटा इसे खारिज करते हैं। जनजातीय समाज में लैंगिक श्रम-विभाजन वास्तविक है और महिलाओं पर 'दोहरे बोझ' (double burden) की समस्या विद्यमान है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

स्कॉट के अधीनस्थ प्रतिरोध की कसौटी पर: SHG सदस्यता (राज्य में 10 लाख+ समूह), वन संरक्षण समितियाँ, नशाबंदी अभियान और ग्राम सभा उपस्थिति — ये सब 'छुपे हुए प्रतिरोध' के स्पष्ट उदाहरण हैं। यह एजेंसी बाहर से नहीं थोपी गई, बल्कि भीतर से उभरी है।

6. प्रमुख चुनौतियाँ

द्वितीयक आंकड़ों और सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ उभरकर सामने आती हैं:

तालिका 7: प्रमुख चुनौतियाँ — सैद्धांतिक एवं डेटा संदर्भ

चुनौती का क्षेत्र	द्वितीयक डेटा साक्ष्य	सैद्धांतिक सम्बन्ध
शैक्षिक अंतराल	8वीं के बाद 38% ड्रॉपआउट (Samata, 2022)	सेन — क्षमता अभाव
स्वास्थ्य असमानता	एनीमिया 63.7%, BMI <18.5 में 30.1% (NFHS-5)	Nussbaum — केंद्रीय क्षमता का अभाव
भूमि असमानता	FRA पत्रों में 23.4% ही महिला नाम (जिला प्रतिवेदन)	Fraser — पुनर्वितरण न्याय
प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व	पंचायत में 51% किंतु वास्तविक एजेंसी सीमित	Fraser — प्रतिनिधित्व न्याय
श्रम-अधिकार विरोधाभास	LFPR 49.6% किंतु मजदूरी न्यूनतम (PLFS)	Moore — दोहरा बोझ
डिजिटल विभाजन	ग्रामीण ST महिला स्मार्टफोन उपयोग 28% (NFHS-5)	Pande & Gupta, 2022

7. प्रमुख निष्कर्ष

सैद्धांतिक ढाँचों और द्वितीयक आंकड़ों के समग्र विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:

निष्कर्ष 1: क्षमता-अंतराल कायम है। NFHS-5 और जनगणना डेटा यह प्रमाणित करते हैं कि जनजातीय महिलाओं में साक्षरता, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षमता का अंतराल राज्य एवं राष्ट्रीय औसत से पीछे है। सेन का 'क्षमता उपागम' इस बहुआयामी अभाव को समझने का सबसे उपयुक्त ढाँचा है।

निष्कर्ष 2: कानूनी अधिकार और व्यावहारिक अधिकार में खाई। FRA 2006 और 73वाँ संशोधन महत्वपूर्ण कानूनी कदम हैं, किंतु वन पत्रों में मात्र 23.4% महिला नाम और 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' दर्शाते हैं कि कानून का क्रियान्वयन अभी भी पुरुष-केंद्रित सामाजिक ढाँचे में होता है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

निष्कर्ष 3: श्रम-भागीदारी सशक्तिकरण का पूर्ण माप नहीं। उच्च LFPR (49.6%) के बावजूद अनौपचारिक, असंगठित और कम-मजदूरी वाला रोजगार आदिवासी महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता। Moore की थेसिस यहाँ विशेष प्रासंगिक है।

निष्कर्ष 4: SHG और स्थानीय प्रतिरोध परिवर्तन के वाहक। स्कॉट के सिद्धांत के अनुरूप, स्वयं सहायता समूह, वन संरक्षण समितियाँ और नशाबंदी अभियान आदिवासी महिलाओं की 'सामूहिक एजेंसी' के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये संस्थाएँ ऊपर से थोपी नहीं गई हैं, बल्कि समुदाय से उभरी हैं।

निष्कर्ष 5: त्रि-आयामी हस्तक्षेप की आवश्यकता। Fraser के सिद्धांत के आधार पर, केवल आर्थिक पुनर्वितरण (योजनाएँ, लाभ) पर्याप्त नहीं है। इसके साथ सांस्कृतिक मान्यता (पारंपरिक ज्ञान का सम्मान) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व (वास्तविक एजेंसी) का समन्वय आवश्यक है।

8. नीतिगत सुझाव

सैद्धांतिक विश्लेषण और द्वितीयक डेटा के आधार पर निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत हैं:

8.1 शिक्षा: UDISE+ के ड्रॉपआउट डेटा के आधार पर 8वीं से 12वीं के बीच लक्षित छात्रवृत्ति और आवासीय सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ। सेन के क्षमता ढाँचे में 'शिक्षा' को साध्य मानकर नीति बनाई जाए, न केवल साक्षरता दर के लक्ष्य के रूप में।

8.2 स्वास्थ्य: NFHS-5 के एनीमिया आंकड़ों (63.7%) को देखते हुए पोषण अभियान और आयरन-फोलिक एसिड वितरण को प्राथमिकता दी जाए। दूरस्थ बैगा ग्रामों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ सक्रिय की जाएँ।

8.3 वनाधिकार: FRA के अंतर्गत वन पत्रों में महिला संयुक्त स्वामित्व को अनिवार्य किया जाए। ग्राम सभाओं में महिला उपस्थिति 50% सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ — Bose एवं Joshi (2019) के सुझाव के अनुरूप।

8.4 राजनीतिक एजेंसी: 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' की समस्या से निपटने के लिए महिला पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन, कानूनी अधिकार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए — Fraser के 'प्रतिनिधित्व-न्याय' के अनुरूप।

8.5 आर्थिक स्वतंत्रता: PLFS के आंकड़ों के आधार पर लघु वनोपज के MSP का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। MGNREGS में महिला श्रमिकों (57.3%) के लिए कुशल कार्य के विकल्प और समान मजदूरी की गारंटी दी जाए।

9. उपसंहार

प्रस्तुत शोध पत्र यह स्थापित करता है कि सिवनी जिले की आदिवासी महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए न केवल संख्यात्मक आंकड़े पर्याप्त हैं और न ही केवल क्षेत्रीय सर्वेक्षण। इसके लिए स्थापित सामाजिक सिद्धांतों के साथ विश्वसनीय द्वितीयक डेटा का समन्वय आवश्यक है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

सेन का क्षमता उपागम यह बताता है कि वास्तविक विकास 'क्षमता-विस्तार' में निहित है, न केवल योजनाओं की संख्या में। फ्रेजर का न्याय सिद्धांत यह सिखाता है कि पुनर्वितरण, मान्यता और प्रतिनिधित्व — तीनों एक साथ होने चाहिए। Moore की नारीवादी दृष्टि यह याद दिलाती है कि श्रम-भागीदारी और सशक्तिकरण एक नहीं हैं। और स्कॉट का प्रतिरोध सिद्धांत यह विश्वास देता है कि परिवर्तन की शक्ति समुदाय के भीतर ही है।

NFHS-5, PLFS, FRA क्रियान्वयन डेटा और पंचायत आंकड़े सब मिलकर एक सुस्पष्ट नीतिगत दिशा की ओर संकेत करते हैं: आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुस्तरीय, समन्वित और दीर्घकालिक हस्तक्षेप आवश्यक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-अधिकार और राजनीतिक एजेंसी को एक साथ संबोधित करे। यही जनजातीय न्याय का सच्चा मार्ग है।

संदर्भ-सूची

1. **बोस, एस., एवं जोशी, आर. (2019)।** *वन अधिकार अधिनियम और जनजातीय महिलाएँ: मध्य भारत में भागीदारी एवं परिणाम।* जर्नल ऑफ रूरल स्टडीज़, 68, 112–124।
2. **भारत की जनगणना। (2011)।** *जिला जनगणना पुस्तिका—सिवनी: अनुसूचित जनजातियों हेतु प्राथमिक जनगणना सारांश।* भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली।
3. **फ्रेज़र, एन. (1995)।** *पुनर्वितरण से मान्यता तक: 'उत्तर-समाजवादी' युग में न्याय की दुविधाएँ।* न्यू लेफ्ट रिव्यू, 212, 68–93।
4. **फ्रेज़र, एन. (2005)।** *वैश्वीकरण के युग में न्याय की पुनर्परिभाषा।* न्यू लेफ्ट रिव्यू, 36, 69–88।
5. **मध्य प्रदेश शासन। (2022)।** *जनजातीय उपयोजना वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22।* जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल।
6. **मध्य प्रदेश शासन। (2023)।** *जिला सांख्यिकी पुस्तिका—सिवनी।* अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी संचालनालय, भोपाल।
7. **कुमार, ए., एवं मीणा, आर. (2023)।** *जनजातीय महिला नेतृत्व और ग्राम विकास: मध्य प्रदेश से प्रमाण।* इंडियन जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट, 23(1), 45–62।
8. **जनजातीय कार्य मंत्रालय। (2023)।** *अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन (31.12.2022 तक)।* भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. **मूर, एच. एल. (1988)।** *नारीवाद और मानवशास्त्र।* पॉलिटी प्रेस, कैम्ब्रिज।
10. **मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। (2022)।** *पंचायत निर्वाचन आँकड़े—सिवनी जिला।* भोपाल।
11. **नीति आयोग। (2023)।** *एसडीजी इंडिया सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2023–24।* नीति आयोग, नई दिल्ली।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

12. **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5)। (2021)।** *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–21: मध्य प्रदेश राज्य तथ्य पत्रक।* अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई।

13. **नुसबॉम, एम. (2011)।** *क्षमताओं का निर्माण: मानव विकास दृष्टिकोण।* हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स।

14. **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)। (2019)।** *भारत में परिवारों का स्वामित्व एवं परिचालन भूमि धारिता: एनएसएस 77वाँ चक्र।* सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।

15. **पाण्डे, वी., एवं गुप्ता, एस. (2022)।** *मध्य प्रदेश में डिजिटल साक्षरता और जनजातीय महिला सशक्तिकरण।* जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़, 58(4), 789–804।

16. **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)। (2022)।** *आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22।* सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली।

17. **राव, पी., एवं मुखर्जी, डी. (2017)।** *मध्य भारत में जनजातीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: पंचायती राज संस्थाओं का एक अध्ययन।* इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 52(18), 42–51।

18. **समता फाउंडेशन। (2022)।** *सिवनी एवं मंडला जिलों में जनजातीय शिक्षा की स्थिति: क्षेत्रीय मूल्यांकन प्रतिवेदन।* समता फाउंडेशन, हैदराबाद।

19. **स्कॉट, जे. सी. (1985)।** *कमज़ोरों के हथियार: कृषक प्रतिरोध के दैनिक रूप।* येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

20. **स्कॉट, जे. सी. (1990)।** *वर्चस्व और प्रतिरोध की कला: छिपे हुए प्रतिलेख।* येल यूनिवर्सिटी प्रेस।

21. **सेन, ए. (1999)।** *विकास के रूप में स्वतंत्रता।* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

22. **शर्मा, ए., एवं ठाकुर, एम. (2018)।** *स्वयं सहायता समूह और मध्य प्रदेश की जनजातीय महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।* सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 67(3), 312–328।

23. **सिंह, एन., एवं पटेल, के. (2021)।** *मध्य प्रदेश की जनजातीय महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति: सामाजिक-आर्थिक निर्धारक एवं नीतिगत निहितार्थ।* जर्नल ऑफ हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर, 14(2), 88–103।

24. **जनजातीय अनुसंधान संस्थान। (2020)।** *सिवनी जिले की जनजातीय जनसंख्या: सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल एवं विकास संकेतक।* मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान संस्थान, भोपाल।

25. **यू-डाइस प्लस (UDISE+)। (2023)।** *एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस 2022–23: जिला प्रतिवेदन—सिवनी।* शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।